

बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स
ई-मेल

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार शुक्ला,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता, बिहार
निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय
संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय

पटना-१५, दिनांक— २८-०९-७१

विषय:-

बिहार राजस्व सेवा के कर्मी/पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के तहत लाभ की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के अन्तर्गत लाभ की स्वीकृति हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभव जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में करने का प्रावधान है। अगस्त से नवम्बर के दौरान परिपक्व होने वाले मासले पर जनवरी माह में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाना है। इसके साथ ही वैसे कर्मियों को जिन्हें परिपक्व होने की स्थिति में भी सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के तहत लाभ की स्वीकृति नहीं दी गई है। वैसे सभी बिहार राजस्व सेवा के कर्मियों/पदाधिकारी के सम्बन्ध में विहित प्रपत्र में जाँच पत्र जो जिला स्थापना प्रभारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/मुहरित हों एवं सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छाया प्रति का होना भी आवश्यक है ताकि प्रस्ताव की समीक्षा कर उसे विभागीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ रखा जा सके। जाँच पत्र में कर्मी का औपबंधिक वरीयता क्रमांक/वरीयता क्रमांक भी अंकित किया जाए।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार प्रस्ताव जाँच पत्र एवं सेवापुस्त की अद्यतन प्रविष्टि के साथ अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं सम्बन्धित वर्षों की गोपनीय चरित्री के साथ प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

अनु०—जाँच पत्र का विहित प्रोफार्म संलग्न।

विश्वासभाजन
मिथिलेश कुमार शुक्ला
(मिथिलेश कुमार शुक्ला)
सरकार के अवर सचिव

सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के अन्तर्गत बिहार राजस्व सेवा के कर्मियों/पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ की मंजुरी हेतु सूचनाओं के लिए विहित प्रपत्र।

1	विभाग/कार्यालय का नाम	
2	सरकारी सेवक का नाम	
3	जन्म तिथि/स० नि० की तिथि	
4	सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम	
5	कर्मी एवं पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि एवं वरीयता क्रमांक	
6	हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता की स्थिति (तिथि सहित)	
7	सेवा संपुष्टि की तिथि तत्संबंधी आदेश की संख्या एवं तिथि	
8	यदि कोई प्रोन्ति का लाभ मिला हो तो उसका विवरण	
9	यदि कोई प्रोन्ति रद्द की गयी हो तो उसका विवरण	
10	दिनांक—09.08.99 / 01.01.2009 को कुल सेवा अवधि	
11	10 / 12 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि/दी गई तिथि	
12	20 / 24 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि/दी गई तिथि	
13	30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि	
14	विभागीय आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही की स्थिति	
15	अभ्युक्त यदि कोई हो तो	
16	प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना जो दर्ज की गई है वह अभिलेख के आधार पर सही है।	